कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर
सिविल लाईन जबलपुर

क्रमांक/ 100 /स्था-04/2022 जबलपुर दिनांक 21/04/2022

<u>संशोधित विज्ञप्ति</u>

कार्यालय संभागायुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक/3344/विकास/2022/ जबलपुर दिनांक 08/04/2022 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर में अधिष्ठाता के 01 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे। उक्त विज्ञप्ति में आशिक संशोधन करते हुये आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 372/स्था/राज/2022 भोपाल दिनांक12/04/2022 के द्वारा शैक्षिणक सवंर्ग की जारी नवीन अनुसूचियों के अनुसार अधिष्ठाता पद हेतु योग्यता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान द्वारा चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम (TEQ) के अनुसार होगी। तथा पूर्व में जारी संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक/3344/विकास/2022 जबलपुर दिनांक 08/04/2022 के अधिष्ठाता पद के नियुक्ति संबंधी विवरण के बिन्दु 01 आवश्यक योग्यताओं के उपबिन्दु "ख" जिसमें मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 03 वर्ष से अधिक का विभागाध्यक्ष का कार्यानुभव उल्लेखित था को शिथिल करते हुए, अधिष्ठाता पद हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.04.2022 सायंकाल 05:00 बजे तक निश्चित की गयी है। पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को संबोधित करते हुये स्थान – आयुक्त, जबलपुर संभाग, संभागायुक्त कार्यालय, सिविल लाईन्स, जबलपुर (म.प्र.) पिन कोड 482001 में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा या ईमेल commjabalpur@mp.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

आवेदन प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध है।

आयुक्त एवं अध्यक्ष
कार्यकारिणी समिति
नेताजी सुभाष चंद्र बोस
स्वशासी मेडिकल कॉलेज जबलपुर

अधिष्ठाता पद की नियुक्ति संबंधी विवरण

1. अनिवार्य योग्यतायें :

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता पद हेतु योग्यता एन.एम.सी. (भारतीय राजपत्र क्रमांक 103 दिनांक 14/02/2022 के बिन्दु क्रमांक 3.6 के अनुसार) अर्थात मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री तथा प्रोफेसर / सह प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव, जिसमें कम-से-कम 5 वर्ष का अनुभव प्राध्यापक रूप में होना चाहिए।

2. अन्य योग्यतायें :-

(क) प्रेसीडेंट/आयोजन सचिव (**Organizing Secretary**) के रूप मे राज्य, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन ।

(ख) न्यायालयीन प्रकरण प्रभारी/स्थापना प्रभारी का अनुभव।

(ग) चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया हो ।

3. आवेदन हेतु केवल म.प्र. शासन में स्थित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षक ही पात्र हैं ।

4. अभ्यर्थियों को म.प्र. शासन द्वारा नर्सिंग होम/अस्पताल मे प्रायवेट प्रेक्टिस के संबंध मे जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा किसी प्रायवेट अस्पताल/नर्सिंग होम मे अधिष्ठाता की बिना पूर्वानुमति विजिट नहीं किया गया हो, इस संबंध मे स्वघोषणा-पत्र देना होगा।

5. चयनित अभ्यर्थी का 05 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति जो भी पहले हो तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता पद पर से नेताजी सुभाष चंद्र चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया जावेगा ।

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता का पद ग्रहण करने के पश्चात निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

7. वेतनमान :- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता :- **Academic level** – 14 (1,44,200/-) एवं शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतन एवं भत्ते ।

8. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।

9. अभ्यर्थी का म.प्र. मेडिकल काउंसिल/मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है ।

10. निरर्हतायें :-

* विकृत चित्त वाला होने पर ।
* दुश्चरित्र होने पर ।
* शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
* नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा- किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी अम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जावेगा।

* विवाह संबधी:- जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
* कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर ।
* कदाचरण संबंधी:- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा यदि उसने शासन या नैतिक प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
* ऐसे उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन के आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा व नैतिक पतन के आपराधिक मामले मे दोष सिद्ध हुआ हो।
* ऐसे उम्मीदवार जिनके विरूद्ध विभागीय जांच, लोकायुक्त जांच, ई.ओ.डब्ल्यू जांच लंबित न हो।

11. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- कार्यालय आयुक्त, जबलपुर संभाग, संभागायुक्त कार्यालय, सिविल लाईन्स, जबलपर (म.प्र.) पिन कोड 482001 में आवेदन पत्र दिनांक 30.04.2022 को सायंकाल 5:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा या ईमेल commjabalpur@mp.gov.in पर भेजे जा सकते है किसी भी स्थिति मे निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
12. पात्र अभ्यर्थियों की सूची महाविद्यालय की वेबसाईट nscbmcjb@gmail.com पर उपलब्ध की जावेगी।
13. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
14. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ-साथ, 02 स्वप्रमाणित छायाप्रतियां भी साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवें ।

महत्वपूर्ण टीप:- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि ये अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवार समाप्त की जायेगी । आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच प्रचलन हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप मे दिया गया है । यह शर्ते भी उसमे समाहित रहेंगी।

आयुक्त एवं अध्यक्ष
कार्यकारिणी समिति
नेताजी सुभाष चंद्र बोस
स्वशासी मेडिकल कॉलेज जबलपुर

अधिष्ठाता पद हेतु आवेदन का प्रारूप

(आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि ....)

नोटः- सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावेः-

स्व प्रमाणित

1. **आवेदक का नाम :-**...
2. **पुरूष/महिला :-** ....
3. **पिता/पति का नाम (उप नाम सहित):-** ....
4. **वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित):-** ....

   ....

   शहर का नाम:- ....**फोन नं.** ....

   मोबाइल नंबर:- ....**ईमेल आइडी**..

5. **स्थायी पता:-**...

   ....

   शहर का नाम :-..**फोन नंबर** ....

6. **आधार कार्ड नंबर :-**...
7. **जन्म तिथि (हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची संलग्न करें)**...
8. **वर्गः- अनारक्षित, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांगः-** ....

   (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

9. **मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक** ....

   अ. (एम.बी.बी.एस.)-

   ब. एमडी/एमएस -

   स. एमसीएच/डीएम -

10. **शैक्षणिक अनुभवः-**

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव
1	प्राध्यापक	
2	सह-प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/प्रदर्शक	

11. **संलग्न प्रमाण पत्रो की सूची (स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)**

    1. **एमबीबीएस एवं एमडी/एमएस/एमसीएच/डीएम की डिग्री एवं मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण-पत्र**
    2. **आधार कार्ड**
    3. **अधिष्ठाता की पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रायवेट अस्पताल मे प्रेक्टिस/विजिटिंग न करने संबंधी स्व घोषणा पत्र ।**
    4. **प्रेसीडेंट/आयोजन सचिव (Organizing Secretary) के रूप मे राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार / कांन्फ्रेंस का आयोजन ।**
    5. **कॉलेज में लीगल सेक्शन एवं स्थापना प्रभारी के कार्य का अनुभव का प्रमाण पत्र ।**

6. चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया हो ।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान ....

दिनांक ....

//घोषणा-पत्र//

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे द्वार दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है । जानकारी असत्य होने की दशा मे मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

मेरे विरूद्ध पुलिस मे एफआईआर दर्ज नहीं है, और मेरे विरूद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त जांच अथवा ई.ओ.डब्ल्यू जांच प्रचलन मे नहीं है ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध मे किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय मे विचाराधीन है ।

म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 मुझे पर पूर्णरूपेण बंधनकारी होगें ।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर